

विकास विभाग

विषय:- CSIR-HRDG (Grant in-aid claim Bill) / आकस्मिक व्यय / उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रोग्रेस रिपोर्ट विश्वविद्यालय पोर्टल में अपलोड करने बाबत ( प्र स्तुत पर ✓ लगायें)

1. विभाग का नाम .....
2. शोधार्थी का नाम .....
3. फेलोशिप कैटेगरी (JRF/SRF/RA/Post Dr.) .....
4. फेलोशिप / स्कॉलरशिप का नाम : .....
5. फेलोशिप / स्कॉलरशिप अवार्ड क्रमांक / फाईल नम्बर / दिनांक .....
6. फेलोशिप / स्कॉलरशिप ग्रहण करने की तिथि .....
7. बैंक का नाम .....
8. बैंक खाता क्रमांक .....
9. आई.एफ.एस.सी. कोड .....
10. प्रस्तुत फेलोशिप अवधि का उपस्थिति प्रमाण पत्र .....
11. शोध निर्देशक का नाम एवं क्लेम बिल पोर्टल में अपलोड की तिथि .....
12. वित्तीय वर्ष में कुल आकस्मिक व्यय की पात्रता राशि .....
13. आकस्मिक व्यय की अवधि .....
14. प्रस्तुत कुल आकस्मिक व्यय की राशि .....
15. देयकों की प्रविष्टि सहित स्कंध पंजी .....
16. संलग्न देयकों की संख्या .....
17. शोधार्थी का मोबाइल नं. ....
18. आधार नम्बर .....
19. अन्य .....

उपरोक्त जानकारी विभाग के पंजी ..... के पृष्ठ क्रमांक ..... में दर्ज किया गया है। शोधार्थी द्वारा सभी कंडिकायें पूर्ण रूप से भरी हुई है। शोध निर्देशक द्वारा सत्यापित है। संबंधित शोधार्थी का आकस्मिक व्यय / उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रोग्रेस रिपोर्ट में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु नस्ती प्रथमतः वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना है एवं सक्षम अनुमोदन एवं कुलसचिव के हस्ताक्षरार्थ पश्चात् नस्ती वित्त शाखा के माध्यम से विकास विभाग को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

विभागीय कार्यालय सहायक

शोध निर्देशक / सुपरवाइजर

विभागाध्यक्ष

अनुशंसित एवं आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नस्ती अग्रिम कार्यवाही वित्त विभाग की ओर अग्रोषित।

अधिष्ठाता

वित्ताधिकारी